भारत सरकार
गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग
GOVT. OF INDIA
MINISTRY OF HOME AFFAIRS, DEPTT. OF OFFICIAL LANGUAGE

CSIR-IIIM

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जम्मू
TOWN OFFICIAL LANGUAGE IMPLEMENTATION COMMITTEE, JAMMU

संयोजक : सीएसआईआर–भारतीय समवेत औषध संस्थान, नहर मार्ग, जम्मू तवी–180 001 (भारत)
Convener : CSIR-Indian Institute of Integrative Medicine, Canal Road, Jammu Tawi - 180001 (INDIA)
दूरभाष : (0191) 2569000–06 फैक्स : (0191)–2569333, 2569023 Phones : (0191) 2569000 -06 Fax : (0191) 2569333, 2569023
E-mail : amarsingh@iiim.ac.in Website : www.tolicjammu.org

संख्या/No. नराकास/जम्मू/बैठक/2015–राभा. दिनांक/Dated : 06.02.2015

सेवा में,

नराकास, जम्मू के केन्द्रीय कार्यालय/बैंकों/उपक्रमों के
अध्यक्षगण/राजभाषा अधिकारी/हिन्दी अधिकारी/हिन्दी अनुवादक।

विषयः- दिनांक 27 जनवरी, 2015 को हुई नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जम्मू की बैठक के कार्यवृत्त।
Subject:- **Minutes of the TOLIC, Jammu meeting held on 27th January, 2015.**

महोदय/महोदया,

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जम्मू की बैठक दिनांक 27 जनवरी, 2015 को अपराह्न 3.00 बजे भारतीय समवेत औषध संस्थान, जम्मू के कान्फ्रेंस हॉल में सम्पन्न हुई। बैठक के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न है। कृपया बैठक में लिए गए निर्णयों पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित् करवाएं।

कार्यवृत्त पर यदि किसी सदस्य को कोई सुझाव देना हो अथवा उनकी कोई आपत्ति हो तो वह अपने सुझाव कार्यालय को दो सप्ताह के भीतर प्रेषित करें।

Sir/Madam,

The minutes of the meeting of Town Official Language Implementation Committee, Jammu held on 27th January, 2015 at 3.00 PM in the Conference Hall of IIIM, Jammu are enclosed herewith. You are requested to necessary action on the decisions taken in the said meeting accordingly.

Objections/Suggestions, if any may be intimated to this office within two weeks.

धन्यवाद/Thank you,

भवदीय,

अमर सिंह
(डॉ. अमर सिंह)
सदस्य-सचिव
(मो.): 9858629580

संलग्नः- यथावर्णित बैठक के कार्यवृत्त।

प्रतिः-

1. नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जम्मू के कार्यालय प्रमुख।
2. उपनिदेशक (कार्या.), क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (दिल्ली), भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, ए–149, सरोजिनी नगर, नई दिल्ली–110023 ।
3. संयुक्त सचिव (प्रशासन), वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली–01
4. सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, लोक नायक भवन, खान मार्किट, नई दिल्ली–110003
5. संयुक्त सचिव (कार्या.), भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, लोक नायक भवन, खान मार्किट, नई दिल्ली–03
6. भारत की सभी नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के अध्यक्ष।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जम्मू
भारतीय समवेत औषध संस्थान, जम्मू

संख्याः नराकास/जम्मू/बैठक/2014-15/राभा. दिनांकः 28.01.2015

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जम्मू की छमाही बैठक दिनांक 27 जनवरी, 2015 को सायं 3.00 बजे भारतीय समवेत औषध संस्थान, जम्मू के कान्फ्रेंस हॉल में सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त।

भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के निर्देशानुसार नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जम्मू की छमाही बैठक दिनांक 27 जनवरी, 2015 मंगलवार को अपराह्न 3.00 बजे भारतीय समवेत औषध संस्थान, जम्मू के कान्फ्रेंस हॉल में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता संस्थान के निदेशक एवं नराकास अध्यक्ष डॉ. राम विश्वकर्मा ने की। इस अवसर पर श्री ए.जी.अंसारी, महाप्रबंधक, एनएचपीसी, सलाल परियोजना, रियासी, श्री सत्यप्रताप सिंह, संयुक्त नियंत्रक, रक्षा लेखा प्रध ान नियंत्रक, उत्तरी कमान, जम्मू, श्री एम.एल.मीर, उपमहाप्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, जम्मू/श्रीनगर, श्री चन्द्रप्रकाश, मुख्य पोस्टमास्टर, जनरल, जम्मू व कश्मीर, श्री मनीष टंडन, वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन, क्षेत्रीय कार्याल, जम्मू तथा नगर जम्मू के केन्द्रीय कार्यालयों/बैंकों/उपक्रमों से आये सभी कार्यालय प्रमुख, वरि.हिन्दी अधिकारी/हिन्दी अधिकारी/राजभाषा अधिकारी/नोडल अधिकारी/वरि.हिन्दी अनुवादक/हिन्दी अनुवादक तथा प्रिन्ट एवं इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के समस्त संवाददाता एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

सर्वप्रथम बैठक में अध्यक्ष महोदय एवं उपस्थित कार्यालय प्रमुखों का स्वागत डॉ. अमर सिंह, वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी एवं सदस्य-सचिव, नराकास, जम्मू ने किया। उन्होंने अपने स्वागत संबोधन में कहा, ''कि इस बैठक में प्रथम अप्रैल, 2014 से 30 सितम्बर, 2014 के दौरान तिमाही प्रगति रिपोर्टो तथा आपके कार्यालय में राजभाषा हिन्दी में किये गये कार्यो की समीक्षा तथा इससे संबंधित आपके कार्यालयों में उत्पन्न समस्याओं पर चर्चा की जाएगी। संघ के विभिन्न राजकीय प्रयोजनों में इसके प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए राजभाषा विभाग प्रति वर्ष एक वार्षिक कार्यक्रम जारी करता है, जिसके अनुसार हम कार्यालयों में राजभाषा के कार्य सम्पन्न करते हैं। चूंकि सरकारी कामकाज में मूल टिप्पण और प्रारूपण के लिए हिन्दी का ही प्रयोग किया जाए जिसके अन्तर्गत धारा 3(3) का हम सबको अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए। यही संविधान की मूलभावना के अनुरूप होगा। सभी भारतीय भाषाएं देश की एकता की प्रतीक हैं। भारतीय संविधान में जो प्रावधान किये गये हैं इसी के अनुसार हमें आदेशों/अनुदेशों का पालन करते हुए महामहिम राष्ट्रपति जी के संकल्पों का सम्मान करना चाहिए''।

तत्पश्चात् बैठक में उपस्थित सदस्यों के परिचय के साथ ही बैठक की कार्रवाई आरम्भ हुई। सचिव ने गत बैठक के कार्यवृत्त पर चर्चा के दौरान कहा कि सम्माननीय सदस्यों की कोई प्रतिक्रिया, सुझाव अथवा आपत्ति हो तो वे विचार रखें, लेकिन माननीय उपस्थित सदस्यों की ओर से कोई आपत्ति एवं प्रतिक्रिया न मिलने पर सचिव, ने अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन से गत बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की।

गत बैठक में लिए गये निर्णयों और उन पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई इस प्रकार हैः-

1. नराकास जम्मू के सभी सदस्य कार्यालयों द्वारा अपने-अपने कार्यालयों में वर्ष 2014 के दौरान हिन्दी दिवस/सप्ताह/पखवाड़ा/मास तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि बड़े हर्षोल्लास के साथ आयोजित किए गए। इन प्रतियोगिताओं के आयोजन से सदस्य कार्यालयों में हिन्दी के कार्यो में जागरूकता व हिन्दी में कार्य करने की क्षमता में प्रगति सुनिश्चित् हुई।

2. अध्यक्ष, नराकास, जम्मू कार्यालय द्वारा दिनांक 12.09.2014 को अन्तरविभागीय भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिसमें सभी सदस्य कार्यालयों के अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था तथा सभी विजयी प्रतियोगियों को नकद राशि एवं प्रमाण-पत्र प्रदान किये गये।
3. इस छमाही के दौरान नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जम्मू की हिन्दी गृह पत्रिका **'ज्ञानवार्ता'** अंक 5 का प्रकाशन किया गया। जिसे समिति की बैठक में अध्यक्ष महोदय ने सदस्य कार्यालयों की उपस्थिति में विमोचन किया।
4. इस दौरान राजभाषा विभाग द्वारा प्रेषित आदेश, अनुदेश सदस्य कार्यालयों के अनुपालन हेतु ई-मेल द्वारा एवं नराकास की वेबसाइट पर डाउनलोड किये गए।
5. नराकास के सभी सदस्य कार्यालयों को दैनिक कार्यालय के कामकाज में सहयोग के लिए दैनिक टिप्पणियां द्विभाषी नराकास की वेबसाइट पर डाउनलोड की गयीं। जिनके माध्यम से कार्यालय में नोटिंग, टिप्पण व पत्राचार को सुगम बनाया जा सकता है।
6. धारा 3(3) के अन्तर्गत कार्रवाई के लिए सभी आदेश/अनुदेश वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।
7. सभी सदस्य कार्यालयों में हिन्दी कार्यशालाएं/संगोष्ठी आयोजित की गयी।

नराकास, जम्मू के सदस्य कार्यालयों की गृह पत्रिकाएं जो वर्ष 2013-2014 में प्रकाशित की गयी जो इस प्रकार हैं:-

नराकास, जम्मू की गृह पत्रिका **"ज्ञानवार्ता"** तथा पंजाब नेशनल बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, जम्मू की गृह पत्रिका **"त्रिकुटा"** रेडियो कश्मीर, जम्मू की गृह पत्रिका **'तविषी'**, एन.एच.पी.सी. लिमिटेड, सलाल पावर परियोजना की बुकलेट **'सीएसआर-सामुदायिक विकास की ओर सलाल पावर स्टेशन के बढ़ते कदम'**, पावर ग्रिड, जम्मू की गृह पत्रिका **"तवी प्रवाह"**, आयकर कार्यालय, जम्मू/श्रीनगर की गृह पत्रिका **'आयकर शिखर'**, एन.एच.पी.सी. क्षेत्र-। कार्यालय, जम्मू की गृह प्रत्रिका **"त्रिकुटा समाचार"**, आदि प्रकाशित हुई।

नराकास, जम्मू की 'ज्ञानवार्ता' राजभाषा गृह पत्रिका का विमोचन करते हुए समिति के अध्यक्ष डॉ. राम विश्वकर्मा एवं अन्य कार्यालय प्रमुख।

तदोपरान्त प्रथम अप्रैल, 2014 से 30 सितम्बर, 2014 के दौरान प्राप्त दोनों तिमाही प्रगति रिपोर्टो की समीक्षा का संक्षिप्त ब्यौरा सदस्य कार्यालयों के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसमें विभिन्न कार्यालयों से प्राप्त प्रगति रिपोर्ट की स्थिति इस प्रकार है:-

प्रथम अप्रैल, 2014 से 30 सितम्बर, 2014 के दौरान प्राप्त दोनों प्रगति रिपोर्टो की समीक्षा:-

केन्द्रीय कार्यालय

1. रक्षा सम्पदा प्रधान निदेशालय, जम्मू
2. पुलिस महानिरीक्षक, सेक्टर मुख्यालय, के.रि.पु.बल, जम्मू
3. भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण प्रचालन, जम्मू
4. आयुर्वेद क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान, जम्मू
5. पुलिस उपमहानिरीक्षक, ग्रुप केन्द्र,के.रि.पु.बल, जम्मू
6. पुलिस उपमहानिरीक्षक, के.रि.पु.बल जम्मू (रेंज)
7. 152वीं वाहिनी सीमा सुरक्षा बल
8. रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक उत्तरी कमान, जम्मू
9. 76वीं बटालियन सीमा सुरक्षा बल
10. 121वीं बटालियन के.रि.पु.बल, कठुआ
11. 110वीं वाहिनी सीमा सुरक्षा बल
12. कार्यालय महालेखाकार (हकदारी), जम्मू
13. 135 बटालियन सीमा सुरक्षा बल
14. 53वीं वाहिनी सीमा सुरक्षा बल
15. 32वीं वाहिनी सीमा सुरक्षा
16. क्षेत्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान केन्द्र, मीरा साहिब
17. भारतीय सर्वेक्षण विभाग, जम्मू
18. भारतीय समवेत औषध संस्थान, जम्मू
19. मुख्य अभियंता सम्पर्क परियोजना, जम्मू
20. राष्ट्रीय कैडेट कोर निदेशालय बल, जम्मू
21. कार्यालय मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, जम्मू
22. 23 विंग वायु सेना (जम्मू व कश्मीर)
23. पत्र सूचना कार्यालय, जम्मू
24. कार्यालय आयकर आयुक्त, आयकर भवन, जम्मू/श्रीनगर
25. डी.ओ.ई.ए.सी.सी.केन्द्र, जम्मू/श्रीनगर
26. 52वीं वाहिनी सीमा सुरक्षा बल

27. कोयला खान भविष्य निधि
28. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, जम्मू
29. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, जम्मू
30. केन्द्रीय विद्यालय संगठन क्षेत्रीय कार्यालय, जम्मू
31. केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड
32. केन्द्रीय रेशम बोर्ड, वस्त्र परीक्षण प्रयोगशाला, मीरा साहिब
33. फ्रंटियर मुख्यालय सीमा सुरक्षा बल
34. क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय प्रादेशिक कार्यालय, जम्मू
35. कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा)
36. क्षेत्रीय चारा उत्पादन एवं प्रदर्शन केन्द्र, जम्मू
37. केन्द्रीय एकीकृत एवं नाशीजीव प्रबंधन केन्द्र
38. सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय
39. राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, जम्मू
40. राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय
41. केन्द्रीय अनुश्रवण केन्द्र, जम्मू
42. राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, जम्मू
43. विदेश व्यापार का कार्यालय , जम्मू
44. राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान प.हिमालय क्षेत्रीय केन्द्र, जम्मू
45. रक्षा पेंशन संवितरण कार्यालय, जम्मू
46. सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संस्थान, जम्मू
47. केन्द्रीय विश्वविद्यालय, त्रिकुटा नगर, जम्मू
48. 15 वीं वाहिनी, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, गढ़ी, ऊधमपुर
49. 6वीं वाहिनी के.रि.पु.बल, कटरा
50. पुलिस उपमहाप्रबंधक रेंज कार्यालय सीआरपीएफ कुटा, नगरोटा

बैंक

51. आई.डी.बी.आई.बैंक, जम्मू
52. भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जम्मू
53. राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, क्षे.का.,जम्मू
54. बैंक ऑफ बड़ौदा, जम्मू
55. पंजाब नेशनल बैंक (मंडल कार्यालय)ज.व.क.
56. भारतीय स्टेट बैंक (प्रशासनिक कार्यालय), जम्मू
57. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जम्मू

कारपोरेशन/निगम

58. दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लि.मं.कार्या.-1
59. भारतीय जीवन बीमा निगम, मण्डलीय कार्यालय
60. पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
61. एअर इण्डिया लिमिटेड
62. रूरल इलैक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड
63. एन.एच.पी.सी.लि., कार्यपालक निदेशक (क्षेत्र-।)
64. सलाल पावर स्टेशन एन.एच.पी.सी.लि.ज्योतिपुरम्
65. एन.एच.पी.सी.लि.,दुलहस्ती पावर स्टेशन किस्तवाड
66. भारतीय खाद्य निगम क्षेत्रीय कार्यालय, जम्मू
67. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, जम्मू
68. भारतीय प्रसारण निगम, दूरदर्शन केन्द्र, जम्मू
69. हुडको कार्यालय, जम्मू
70. दि न्यू इण्डिया इंश्योरेंस क.लि. मण्डल कार्यालय-।।
71. भारतीय प्रसारण निगम, रेडियो कश्मीर, जम्मू
72. भारतीय खाद्य निगम जिला कार्यालय, जम्मू
73. मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय दूरसंचार निगम लिमिटेड

राजभाषा नीति कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित पर कार्रवाई सुनिश्चित करवाएं:-

1. नराकास, जम्मू के सभी सदस्य कार्यालयों में राजभाषा हिन्दी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए पुरस्कार योजना-वर्ष 2014-15 भारत सरकार, गृह मत्रालय, राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर विवरण उपलब्ध है।
2. राजभाषा विभाग की सूची सरकारी कार्यालयों के पुस्तकालयों में हिन्दी पुस्तक की खरीद हेतु सूची नराकास, जम्मू की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

3. भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय-।, दिल्ली के पत्र दिनांक दिसम्बर, 2014 पंत्राक सं. 19/3/सभी नराकास/2011-उक्षेकाका-1(दि.)/2006-2039 के द्वारा महत्वपूर्ण बिन्दुओं की ओर ध्यानाकर्षिक किया है। जिसमें राजभाषा नीति के समुचित अनुपालन सुनिश्चित् किया गया। जो इस प्रकार है।

1. नराकास की बैठकों में केवल कार्यालय प्रमुख द्वारा ही भाग लिया जाए। संबंधित राजभाषा अधिकारी/अनुवादक प्रधान अधिकारियों की मदद के लिए बैठक में आ सकते है।

2. सभी कार्यालय अपनी तिमाही प्रगति रिपोर्टे अपने मुख्यालय (नियंत्रक कार्यालय समिति) नराकास सचिवालय को भेजना सुनिश्चित् करें।
3. उपरोक्त बिन्दु-3 में उल्लिखित तिमाही प्रगति रिपोर्ट गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, उत्तरी क्षेत्रीय कार्यान्वियन कार्या-1(दिल्ली), ए-149, सरोजिनी नगर, नई दिल्ली को ऑन लाइन भेजी जाएं। ऑन लाइन रिपोर्ट भेजने के लिए पंजीकरण कराया जाए। पंजीकरण की जानकारी हेतु सदस्य कार्यालयों के लिए अल्पावधि की कार्यशाला का संचालन किया जाए।
4. सभी कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वियन समितियां कार्यालय अध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित की जाएं और इसकी बैठकें प्रत्येक तिमाही में नियमित रूप से की जाए तथा बैठक की पूर्व सूचना तथा कार्यवृत्त भी इस कार्यालय को भिजवाएं।
5. कार्यालय को राजभाषा नियम 1976 के नियम 10(4) के अन्तर्गत अधिसूचित करवाया जाए तथा हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त कार्मिकों को नियम 8(4) के अन्तर्गत हिन्दी में काम करने के लिए व्यक्तिशः आदेश जारी किए जाएं।
6. सभी कार्यालयों द्वारा यह सूनिश्चित किया जाए कि राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले सभी कागजात अनिवार्य रूप से द्विभाषी जारी किए जा रहे हैं।
7. राजभाषा नियम 1976 के नियम 5 के अंतर्गत हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर अनिवार्यतः हिन्दी में ही दिए जाएं।
8. कार्यालय अध्यक्ष द्वारा अपने कार्यालय में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के संबंध में जांच बिन्दु बनाए जाएं और इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
9. कार्यालय में हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त सभी कर्मियों से हिन्दी में काम करवाना सुनिश्चित किया जाए और कार्यालय में उपलब्ध सभी कंप्यूटरों पर हिन्दी में काम करने के लिए केवल यूनीकोड आधारित प्रणाली पर कार्य सुनिश्चित किया जाए।
10. नराकास स्तर पर प्रतिमाह किसी न किसी कार्यालय द्वारा किसी न किसी हिन्दी कार्यक्रम/प्रतियोगिता का आयोजन किया जाए तथा अच्छा प्रदर्शन करने वाले कार्यालयों को नराकास की अगली बैठक में पुरस्कृत किया जाए। नराकास द्वारा अपनी एक हिन्दी गृह पत्रिका भी निकाली जाए, जिसके लिए आवश्यकतानुसार प्रत्येक सदस्य कार्यालय से एक निश्चित अंशदान वार्षिक आधार पर लिया जा सकता है।
11. किसी भी कार्यालय में हिन्दी का यदि कोई पद रिक्त हो तो रिक्त पदों को भरने की तत्काल कार्रवाई की जाए तथा हिन्दी के पदों को सृजन के संबंध में राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए न्यूनतम हिन्दी पदों संबंधी मानदंड के अनुसार प्रत्येक कार्यालय में हिन्दी से संबंधित पदों का सृजन किया जाए तथा इन पदों को भरने की कार्रवाई प्राथमिकता के आधार पर की जाए।
12. राजभाषा विभाग द्वारा राजभाषा नीति के कार्यान्वियन हेतु प्रत्येक वर्ष वार्षिक कार्यक्रम जारी किया जाता है। इस वार्षिक कार्यक्रम में विहित लक्ष्यों को हासिल करने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाएं। यह कार्यक्रम राजभाषा विभाग की वेबसाइट www.rajbhasha.nic.in पर उपलब्ध है।
13. राजभाषा के कार्यान्वयन में जानबूझकर लापरवाही करने वाले तथा संवैधानिक प्रावधानों, महामहिम राष्ट्रपति के आदेशों तथा संसदीय राजभाषा समिति के निर्देशों की अवहेलना करने वाले अधिकारियों/कर्मचरियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने पर विचार किया जा सकता है।
14. 'क' और 'ख' को भेजे जाने वाले सभी पत्रों के लिफाफों पर पते हिन्दी में लिखें जाए।

15. कार्यालय की वेबसाइट को द्विभाषी बनाई जाए।
16. हिन्दी पुस्तकों की खरीद पर कुल बजट का 50 प्रतिशत खर्च किया जाना अपेक्षित है।
17. कार्यालय द्वारा अखिल भारतीय स्तर के सभी विज्ञापन द्विभाषी जारी किए जाए तथा हिन्दी व अंग्रेजी एवं क्षेत्रीय भाषाओं पर बराबर खर्च किया जाए।
18. भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, हिन्दी शिक्षण योजना हिन्दी टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण के लिए कार्यालय 33, कर्ण नगर, जम्मू से सम्पर्क करें।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जम्मू की वर्ष 2013-2014 में राजभाषा नीति के श्रेष्ठ निष्पादन के लिए पुरस्कृत कार्यालय/बैंकों/उपक्रमों के नाम निम्न प्रकार है:-

निदेशक, भारतीय समवेत औषध संस्थान, जम्मू, रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक, उत्तरी कमान, जम्मू, आयुक्त आयकर, आयकर कार्यालय, जम्मू/श्रीनगर, प्रभारी, क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, जम्मू, महानिरीक्षक, सीमान्त मुख्यालय, सीमा सुरक्षा बल, पलौड़ा, जम्मू, कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा), जम्मू, उपायुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, गांधी नगर, जम्मू, उप महानिरीक्षक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल बनतलाव, जम्मू, उप महानिदेशक, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय, जम्मू, मंडल यातायात प्रबंधक, उत्तर रेलवे, जम्मू, उपमहाप्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक (मंडल कार्यालय) जम्मू, उपमहाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक (प्रशासनिक कार्यालय), जम्मू, मुख्य महाप्रबंधक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, जम्मू, सहायक महाप्रबंधक, आई.डी.बी.आई.बैंक, जम्मू, कार्यपालक निदेशक, एन.एच.पी.सी.लिमिटेड, क्षेत्रीय कार्यालय (क्षेत्र-1), जम्मू, कार्यपालक निदेशक, पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (उ.क्षेत्र-।।), जम्मू, महाप्रबंधक, एनएचपीसी लिमिटेड, दुलहस्ती पावर परियोजना किश्तवाड़, जम्मू व कश्मीर, महाप्रबंधक, एनएचपीसी, सलाल पावर स्टेशन, रियासी, जम्मू व कश्मीर, निदेशक, भारतीय प्रसारण निगम, दूरदर्शन केन्द्र, जम्मू, महाप्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, जम्मू, स्टेशन प्रबंधक, एअर इंडिया लिमिटेड, जम्मू, वरिष्ठ मंडल प्रबंधक, दि ओरिएण्टल इंश्योरेंश कम्पनी लिमिटेड, मंडलीय कार्यालय, जम्मू, वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, क्षेत्रीय कार्यालय, जम्मू आदि ।

इस दौरान वर्ष 2013-2014 के लिए हिन्दी अधिकारियों/अनुवादकों को राजभाषा नीति के श्रेष्ठ सहयोग के लिए अध्यक्ष महोदय ने मेरिड प्रमाण पत्र भी प्रदान किये।

बैठक में राजभाषा नीति कार्यान्वयन पर चर्चा एवं सदस्यों की प्रतिक्रियाएं उनके महत्वपूर्ण सुझाव जो इस प्रकार है:-

1. राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, जम्मू के प्राचार्य, श्री मनोज कुमार ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि देश की 80 प्रतिशत जनता हिन्दी के प्रयोग एवं प्रसार के लिए आश्वस्थ है। उन्होंने हिन्दी के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए बताया कि हिन्दी का प्रयोग और प्रसार भारत में अनिवार्य है। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास संस्कृत भाषा से हुआ है। जो भारतीय संविधान की शक्तियों के माध्यम से हिन्दी की प्रगति में दिन प्रतिदिन प्रगति हो रही है। उन्होंने कम्प्यूटर के माध्यम से ई-मेल एवं यूनिकोट प्रशिक्षण कार्यक्रम को सार्थक बताया। उनका यह भी कहना था कि बैठक में विभिन्न सदस्य कार्यालयों द्वारा हिन्दी गृह पत्रिकाओं के प्रकाशन जिसमें तविषी को भाषिक दृष्टि से इसके अर्थ को उसकी सार्थकता प्रतिपादित की। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वार्षिक गृह पत्रिका ज्ञानवार्ता के विमोचन पर हार्दिक प्रसन्नता व्यक्त की। बैठक की कार्रवाई एवं उपस्थित सदस्यों को देखकर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए अध्यक्ष महोदय को हार्दिक बधाई दी।

2. पंजाब नेशनल बैंक, मंडल कार्यालय, जम्मू व कश्मीर के उपमहाप्रबंधक श्री एल.एम.मीर ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि हमें राजभाषा नीति के श्रेष्ठ निष्पादन के लिए इस वर्ष के दौरान कई पुरस्कार प्राप्त हुए है। उन्होंने हिन्दी के कार्यान्वयन पर अपने विचार व्यक्त करते हुए अपने बैंक की सभी शाखाओं में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की सार्थकता एवं इसको प्रयोग में लाने के लिए अपने प्रयासों को उपयुक्त बताया। उन्होंने कहा कि जब हमारे मंडल कार्यालय द्वारा साक्षात्कार के समय बोर्ड के सदस्यों द्वारा हमारा पहला प्रस्ताव राजभाषा हिन्दी के प्रयोग के लिए होता है। इस पर उपस्थित सदस्यों ने कर्तल ध्वनि से उनका स्वागत किया।
3. एन.एच.पी.सी. सलाल पावर स्टेशन के महाप्रबंधक श्री ए.जी. अंसारी ने अध्यक्ष महोदय एवं उपस्थित सदस्यों का स्वागत करते हुए अपने संबोधन में कहा कि जम्मू व कश्मीर में आठ पावर प्रोजेक्ट है जिसमें सलाल पावर प्रोजेक्ट सबसे बड़ा एवं सबसे पुराना है। अपने परियोजना की कार्य क्षमता के बारे में संक्षेप में प्रगति को बताते हुए कहा कि हिन्दी के प्रयोग के लिए हमारी पहली प्राथमिकता है। उन्होंने यह भी कहा कि हम नराकास की बैठकों में नियमित रूप से भाग ले रहें । हमारी प्रगति रिपोर्टे ऑन लाइन दिल्ली को भेजी जा रही है। इस वर्ष के दौरान उनके द्वारा अखिल भारतीय कवि सम्मेलन एवं कार्यशालओं का आयोजन किये गये है। इस अवसर पर उनके द्वारा हिन्दी में 'सीएसआर-सामुदायिक विकास की ओर एक लघु पत्रिका' का विमोचन समिति के अध्यक्ष एवं स्वयं की उपस्थिति में बैठक में किया गया। इससे सिद्ध होता है कि हिन्दी के प्रयोग और कार्यान्वयन की दिशा में उनका यह उत्कृष्ठ प्रयास है। इसकी एक-एक प्रति सभी उपस्थि सदस्यों को वितरित की गयी।
4. रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक कार्यालय, जम्मू के संयुक्त नियंत्रक श्री सत्यप्रताप सिंह ने उपस्थित सदस्यों का स्वागत करते हुए हिन्दी के महत्व को साहित्यिक एवं दार्शनिक शैली में अपने विचार व्यक्त किए उन्होंने भारत की विभिन्न भाषाओं को उपयोगी बताते हुए प्राचीन लेखकों की महत्वपूर्ण पुस्तकों की याद दिलाई उन्होंने कहा कि भाषा ज्ञान काी वस्तु है हमें आनंद मठ, बन्दे मातरम्, को पढ़ना चाहिए उन्होंने सांस्कृतिक एवं दार्शनिकता तथा ओजस्वी शैली में भाषिक तत्वों को वैज्ञानिक तरीके से अपने विचार व्यक्त किए।
5. जम्मू एवं कश्मीर के मुख्य पोस्टमास्टर जनरल श्री चन्द्रप्रकाश ने उपस्थित सदस्यों का स्वागत करते हुए कहा, 'कि आज की नराकास की बैठक में उपस्थित सभी सदस्य कार्यालयों को देखकर मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है। बैठक के दौरान राजभाषा नीति 'कार्यान्वयन की दिशा में हिन्दी की प्रगति के लिए नगर समिति की गृह पत्रिका ज्ञानवार्ता का विमोचन महत्वपूर्ण है। इसके लिए उन्होंने अध्यक्ष महोदय का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अन्य सदस्य कार्यालयों द्वारा राजभाषा की दिशा में कई पत्रिकाओं के प्रकाशनों के प्रदर्शन बैठक में किये गये उनको भी हार्दिक बधाई दी। राजभाषा की दिशा में कार्यान्वयन को प्रभावी बनाने के लिए राजभाषा शील्ड एवं प्रमाण-पत्र प्रदान किए गये। जो सदस्यों के सराहनीय प्रयास है। कई सदस्य कार्यालयों ने काव्य के माध्यम से तथा दार्शनिक विचारों से अवगत कराया। बैठक में राजभाषा कार्यान्वयन की कार्रवाई बेहतर ढंग से सम्पन्न हुई।
6. इस अवसर पर 6वीं वाहिनी केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, कटरा के द्वितीय कमान अधिकारी, श्री यादराम बुनकर ने काव्य के माध्यम से अपने विचार व्यक्त किए।
7. खादी ग्रामोद्योग भवन, जम्मू के प्रबंधक श्री अशोक कुमार दीक्षित ने बड़े सुन्दर ढंग से काव्यपाठ प्रस्तुत किया। जिसके लिए सदस्यों ने तालियों से उनका स्वागत किया।

8. पंजाब नेशनल बैंक, शाखा केनाल रोड, जम्मू के अधिकारी श्री आर.सी.भट्ट ने बैठक में अपनी स्वरचित कविता पाठ बड़े सस्वर ढंग से वाचन किया।

बैठक को संबोधित करते हुए संस्थान के निदेशक एवं नराकास, अध्यक्ष, डॉ. राम विश्वकर्मा एवं अन्य उपस्थित सदस्य।

9. संस्थान के निदेशक एवं अध्यक्ष, नराकास, जम्मू डॉ. राम विश्वकर्मा ने सभागार में उपस्थित सज्जनों का अपने संस्थान की ओर से व नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के मंच से उपस्थित कार्यालय प्रमुखों व अन्य गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत करते हुए अपने अध्यक्षीय संबोधन में कहा, 'कि हमें छः माह के बाद आपसे राजभाषा नीति कार्यान्वयन पर चर्चा के लिए एक अच्छा अवसर मिलता है। हम सब मिलकर राजभाषा नीति कार्यान्वयन की दिशा में महत्वपूर्ण हल निकालें। उन्होंने संसदीय राजभाषा समिति के विषय में संक्षेप में बताया कि समिति के निरीक्षण से राजभाषा कार्यान्वयन के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शन मिलते हैं। आपके माध्यम से राजभाषा के कार्यान्वयन में जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं। उनका समाधान भी आसानी से निकाला जा सकता है। जिसमें धारा 3(3) के अन्तर्गत जो मद निर्धारित हैं उन पर कार्रवाई आवश्यक रूप से करने का प्रयत्न करें साथ ही हिन्दी पुस्तकों की खरीद 50 प्रतिशत करने का प्रावधान है। इसी प्रकार विज्ञापन भी क्षेत्रीय भाषाओं व हिन्दी/अंग्रेजी में बराबर खर्च किया जाए। उन्होंने वार्षिक कार्यक्रम के अन्तर्गत दिए गये लक्ष्यों को प्राप्त करना है। गृह पत्रिकाओं के प्रकाशन भी महत्वपूर्ण प्रयास है साथ ही इस बैठक में कार्यालय प्रधानों को आवश्यक रूप से भाग लेना चाहिए। ताकि बैठक में लिए गये निर्णयों को प्रभावी बनाया जाए। हम चाहते है कि ई-मेल के माध्यम से पत्राचार में वृद्धि हो जैसाकि आपने अनुभव किया होगा कि ई-मेल के माध्यम से हमने पत्राचार को सुगम बनाया है और समिति की वेबसाइट पर समिति की गतिविधियां उपलब्ध है और ब्लॉक पर अपने सुन्दर विचार प्रेषित करने का माध्यम है। अध्यक्ष महोदय ने सुझाव दिया कि यदि समिति के माध्यम से कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते है। क्या इसकी आवश्यकता है। हमारे कई सदस्य कार्यालयों ने हिन्दी के महत्व पर अपने सुन्दर विचार दिए हैं साथ ही कई सदस्य कार्यालयों द्वारा काव्य के माध्यम से अपने संवाद को सुन्दर ढंग से प्रस्तुत किया है। आप सब बैठक में उपस्थित हुए और राजभाषा की प्रगति के लिए आपने विचार व्यक्त किए उन्होंने सभी का हृदय से आभार सहित धन्यवाद किया।

अन्त में धन्यवाद प्रस्ताव संस्थान की श्रीमती रजनी कुमारी ने बैठक में अध्यक्ष महोदय एवं उपस्थित नराकास जम्मू के सभी केन्द्रीय कार्यालयों/बैंकों/उपक्रमों के कार्यालय प्रमुखों एवं नगर के प्रिन्ट व इलैक्ट्रानिक मीडिया के सभी संवाददाताओं का आभार व्यक्त किया। बैठक में दूरदर्शन तथा मीडिया का सदैव सहयोग रहा है। बैठक के आयोजन में संस्थान के सभी संकाय सदस्यों ने सहयोग प्रदान किया। प्रबंधन के लिए संस्थान के वरि. हिन्दी अधिकारी एवं सदस्य सचिव, डॉ. अमर सिंह तथा समस्त स्टॉफ सदस्यों का आभार सहित धन्यवाद किया।

राम विश्वकर्मा

डॉ. राम विश्वकर्मा
अध्यक्ष
नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जम्मू

डॉ. अमर सिंह
सदस्य-सचिव
नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जम्मू